

सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 330/सो.आ.नि.-318(1)/2015

दिनांक: 22 सितम्बर, 2015

प्रेषक,

निदेशक,

सोशल आडिट,

उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

आगरा, हाथरस, इलाहाबाद, आजमगढ़, बरेली, संतकबीरनगर, महोबा

बलरामपुर, सुल्तानपुर, गोरखपुर, झांसी, फर्रुखाबाद, हरदोई, बुलन्दशहर,

संतरविदासनगर, संभल, शामली एवं वाराणसी।

विषय: दिनांक 21 सितम्बर, 2015 को चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण सोशल आडिट की कार्यवाही स्थगित किया जाना।

महोदय,

उ०प्र० के समस्त जनपदों में सम्पन्न होने वाले पंचायत चुनावों के कारण दिनांक 21 सितम्बर, 2015 से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता भी लागू की जा चुकी है।

अतः कृपया उक्त के दृष्टिगत सोशल आडिट कैलेण्डर में उल्लिखित शेष ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट की प्रक्रिया स्थगित रखने का कष्ट करें। आदर्श आचार संहिता की समाप्ति पर सोशल आडिट की पुनरीक्षित तिथियों से आपको अवगत कराया जाएगा।

भवदीय,

(राजवर्धन)

निदेशक।

पत्रांक:- 330 /सो०आ०नि०-318(I)/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग-7, उ०प्र० शासन।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र०।
3. अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ०प्र०।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
5. सम्बन्धित जिला विकास अधिकारी, उ०प्र०।

भवदीय,

(राजवर्धन)

निदेशक।